विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र, मध्य प्रदेश शासन, 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु, में चयनित कार्यक्रमों और विभागों की एक निष्पादन लेखापरीक्षा एवं 12 लेखापरीक्षा कंडिकाएं सम्मिलित हैं जो सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी निकायों, समितियों आदि के निष्पादन लेखापरीक्षा एवं वित्तीय लेन–देनों की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित हैं। महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सार नीचे दिया गया है:

1. निष्पादन लेखापरीक्षा

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु संचालित की जाती है कि क्या शासकीय कार्यक्रमों/योजनाओं/विभागों द्वारा अपेक्षित उद्देश्यों को न्यूनतम लागत में प्राप्त कर लिया गया है और उनका प्रयोजित लाभ दिया गया है।

1.1 नगर पालिक निगम, भोपाल एवं इन्दौर में जल प्रदाय प्रबन्धन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

जल आपूर्ति, 74 वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत, नगरीय स्थानीय निकायों को सौंपे गये 18 कार्यों की सूची में से एक है। नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अन्तर्गत, नगरीय स्थानीय निकायों को सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत उद्देश्य के लिये उचित एवं पर्याप्त जल आपूर्ति हेतु शक्तियाँ प्रदाय की गई हैं। मध्य प्रदेश में, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एल.पी.सी.डी.) के विरूद्ध औसत सतही जल की उपलब्धता 78 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इस प्रकार, राज्य में जल की माँग एवं आपूर्ति के मध्य 57 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का अन्तर है। मध्य प्रदेश में जल प्रदाय प्रबन्धन की वस्तुस्थिति का आकलन करने के लिये, राज्य के वृहद्तम नगर पालिक निगमों, नगर पालिक निगम, भोपाल (बी.एम.सी.) एवं नगर पालिक निगम, इन्दौर (आई.एम.सी.) को निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु चयनित किया गया।

- दोनों नगर पालिक निगमों में जल स्रोत (जलशोधक संयंत्र) से प्राप्त पानी एवं उच्चस्तरीय टंकियों/जल संग्राहक के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरित किये जाने वाले पानी की मात्रा में 30 से 70 प्रतिशत की रेंज में अन्तर, पानी की हानि के निगरानी के लिये रिसाव खोजी प्रकोष्ठ (*Leakages detection cell*) के न होने, वाल्व संचालन प्रणाली और वितरण प्रणाली में प्रवाह मीटर के न लगाये जाने के कारण परिलक्षित हुआ।

(कंडिका 2.1.6.3)

- वार्ड/परिक्षेत्र अथवा नगर पालिक निगम स्तर पर वार्षिक दर अनुबन्ध के स्थान पर सहायक यंत्री/उप–यंत्री द्वारा प्रत्येक रिसाव प्रकरण के मरम्मत हेतु परिक्षेत्र/वार्ड वार पृथक निविदा आमंत्रित किये जाने के कारण रिसाव प्रकरणों के निपटान में 22 से 182 दिन विलम्ब हुआ।

(कंडिका 2.1.6.4)

- नगर पालिक निगम, भोपाल एवं इन्दौर द्वारा दर्शाये गये जल आपूर्ति एवं वास्तविक जल प्रदाय में क्रमशः नौ से 20 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं 36 से 62 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का अन्तर होना पाया गया। वास्तविक रूप से यह अन्तर, नगर पालिक निगमों द्वारा प्रति व्यक्ति मांग की गणना, उच्च स्तरीय टंकी में उपलब्ध

पानी के स्थान पर फिल्टर संयंत्र पर उपलब्ध पानी की मात्रा के आधार पर करने के कारण होना पाया गया।

(कंडिका 2.1.6.5)

- अनुपयुक्त परिक्षेत्रीकरण (*Improper zoning*) होने, दाब मापक संयंत्र न होने तथा वाल्व संचालन अनुसूची का संधारण न होने के कारण दोनों नगर पालिक निगमों में एक दिन के अन्तराल से एवं 30 से 60 मिनट के लिये असमान तथा निर्धारित दाब से कम दाब पर पानी प्रदाय किया गया तथा नगर पालिक निगम, भोपाल में मात्र पाँच परिक्षेत्र में और नगर पालिक निगम, इन्दौर के चार परिक्षेत्र में रोज पानी प्रदाय किया गया था। जबकि, एस.एल.बी. राजपत्र अधिसूचना में पानी प्रदाय किये जाने की अवधि नगर पालिक निगम, भोपाल एवं नगर पालिक निगम, इन्दौर द्वारा क्रमशः दो से चार घण्टे एवं 30 मिनिट से एक घण्टा प्रतिदिन दर्शाया गया था।

(कंडिका 2.1.6.6)

- कुल 9.41 लाख रहवासियों में से केवल 5.30 लाख रहवासियों (56.32 प्रतिशत) को ही अधिकृत जल कनेक्शन प्रदाय किये गये थे।

(कंडिका 2.1.6.9)

- वर्ष 2013–18 की अवधि में, दोनों नगर पालिक निगमों में 4,481 जल के नमूने (भौतिक, रसायनिक एवं जीवाण्विक) प्रतिकूल (बी.आई.एस. मानक 10500 के नीचे) थे, किन्तु, नगर पालिक निगमों द्वारा क्या कार्रवाई की गई यह अभिलेखों से सुनिश्चित नहीं किया जा सका। जल नमूनों का स्वतंत्र संयुक्त परीक्षण किया गया एवं इससे परिलक्षित हुआ कि 54 नमूनों में से 10 नमूने प्रतिकूल पाये गये थे जिनमें गंदलापन (*Turbidity*) तथा फिक्ल कॉलीफार्म (*faecal coliform*) पाया गया था। जिसके फलस्वरूप 8.95 लाख रहवासियों (नगर पालिक निगम, भोपाल में 3.62 लाख तथा नगर पालिक निगम, इन्दौर में 5.33 लाख) को प्रदूषित पानी प्रदाय किया गया था। लोक स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी उपरोक्त अवधि के दौरान 5.45 लाख जलजनित बीमारियों के प्रकरणों का होना सूचित किया गया था।

(कंडिकाएं 2.1.7.1 एवं 2.1.7.3)

- नमूना जाँच किए गए 45 उच्चस्तरीय टंकियों/जल संग्राहकों में से 23 प्रकरणों में, न तो उच्चस्तरीय टंकियाँ/जल संग्राहक नियमित अन्तराल पर साफ किये गये न ही टंकियों में पाई गई मिट्टी की जैविकीय जाँच कराई गई जो कि प्रदाय किये जाने वाले पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु अनिवार्य थी। दोनों नगर पालिक निगमों में, टंकियों की सफाई हेतु जिम्मेदार उपयंत्री, अपने कर्तव्य निर्वहन में विफल रहे जबकि, उच्च तकनीकी अधिकारी (सहायक यंत्री या कार्यपालन यंत्री) द्वारा कभी भी इस कार्य की निगरानी अपने स्तर से नहीं की गई।

(कंडिका 2.1.7.4)

- नगर पालिक निगम, इन्दौर द्वारा बोरवेल का पानी बिना जाँच किये ही प्रदाय किया जा रहा था। संयुक्त रूप से एकत्रित एवं जाँच कराये गये 20 बोरवेल के जल नमूनों में से, सभी नमूनों में या तो आयरन, नाईट्रेट, कैल्शियम, कण्डक्टीविटी थे या फिकल कॉलीफार्म, निर्धारित बी.आई.एस. मानक 10500 से अधिक पाये गये, जिससे लीवर, हृदय, अग्नाशय को नुकसान, डायबिटीज, डायरिया, उल्टी आना, पेट दर्द, पाचन सम्बन्धी समस्याएं, पीलिया, टायफाइड तथा किडनी में पत्थरी हो सकती है।

(कंडिका 2.1.7.5)

- एस.एल.बी. निर्देशिका के अनुसार, जल प्रभार की 90 प्रतिशत वसूली दक्षता प्राप्त की जानी है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि दोनों नगर पालिक निगमों में जल प्रभार की राशि ₹ 470.00 करोड़ बकाया थी।

(कंडिका 2.1.8.2)

- नगर पालिक निगमों द्वारा जल लेखापरीक्षा नहीं कराई गई और इसके कारण जल आपूर्ति प्रणाली में हानि सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

(कंडिका 2.1.10.2)

- प्रबन्धन नियंत्रण एवं जल आपूर्ति प्रणाली के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिये, राज्य स्तर के साथ–साथ नगर पालिक निगमों के स्तर पर व्यापक सूचना प्रबन्धकीय प्रणाली (एम.आई.एस.) नहीं थी।

(कंडिका 2.1.10.3)

2. अनुपालन लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने विकट क्षेत्रों में विभिन्न महत्वपूर्ण कमियों को प्रतिवेदित किया है जो शासकीय विभागों/संस्थाओं की प्रभावी कार्यप्रणाली को प्रभावित करती है।

लेखापरीक्षा कंडिकाएं

कलेक्टर मुरैना तथा श्योपुर द्वारा सहायक ग्रेड–3 तथा भृत्य के पदों पर अवैध नियुक्तियों के परिणामस्वरूप वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹ 76.12 लाख का अनियमित व्यय हुआ।

(कंडिका 3.2)

सी.एम.एच.ओ., छतरपुर के कार्यालय में भंडार प्रबंधन के प्रावधानों एवं विभागीय निर्देशों के अनुपालन न करने तथा अधीनस्थ इकाइयों को आपूर्ति की गई औषधियों/सामग्रियों के निर्गम प्रमाणकों में स्टोर कीपर द्वारा कपटपूर्ण हेरा–फेरी के कारण ₹ 12.71 लाख का गबन हुआ।

(कंडिका 3.3)

नई दवा नीति के अंतर्गत औषधियों के गुणवत्ता परीक्षण के परीक्षण व्ययों की कटौती हेतु क्रय आदेश की शर्तों का अनुपालन नहीं करने के फलस्वरूप संबंधित आपूर्तिकर्ताओं से ₹ 2.36 करोड़ के व्ययों की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 3.4)

मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को पर्यवेक्षण शुल्क तथा उस पर सेवाकर के रूप में राशि ₹ 1.06 करोड़ का अधिक भुगतान।

(कंडिका 3.7)

नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद द्वारा उच्च दाब (एच.टी.) कनेक्शनों में ऊर्जा कारक (पावर फैक्टर) निर्धारित स्तर पर संधारण में विफलता के कारण मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा अधिरोपित शास्ति के भुगतान के रूप में ₹ 1.10 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 3.8)

पूरक पोषण कार्यक्रम (एस.एन.पी.) के अंतर्गत जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा स्व–सहायता समूहों को पोषण आहार की राशि ₹ 2.32 करोड़ का परिहार्य अधिक भुगतान किया गया।

(कंडिका 3.10)

कोषालय स्तर पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता और बी.सी.ओ./ संचालनालय की चूक के कारण डी.पी.ओ./पी.ओ. द्वारा आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के अंतर्गत आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/आँगनवाड़ी सहायिकाओं के राशि ₹ 4.24 करोड़ के मानदेय का कपटपूर्ण आहरण किया गया तथा इसे अनाधिकृत व्यक्तियों के खातों में जमा किया गया।

(कंडिका 3.11)